

2025 394

अर्ज

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

11.6.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
बिमला देवी बनाम इन्द्रा आदि  
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 279 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
06.06.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 23.06.2025 को पेश हो।	
10.6.2025	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मिकाल पेवरी पेश करते पर प्रजावकी को पेवरी में लिखा गया। वकुलाल फरिछेन उपखण्ड। प्रजावकी 190/92 ने जारिफे वकील जि नोद बास ने उपखण्ड कार्यालय के मात दावा पेश किया जिसे शामिल फर्द ल किया गया। प्रजावकी वक्ले सेट 190/92 को पेश हो।	इन्द्रा
11.6.2025	वकुलाल फरिछेन उपखण्ड। सेट जन्मप पुस्तक प्रजावकी वक्ले सुनी गरी। प्रजावकी का अवलोकन किया गया। प्रजावकी पर उपलब्ध रिकार्ड कारी 90/92 प्रजावकी की सहकारि से आचर पर वाद वकी डिक्ली डिग जात है। इन्दी डिगण सहित निर्दिष्ट अलग से लिखा जाकर शामिल फर्द ल किया जावे। प्रजावकी नम्बर से कर की जाकर वाद तत्कीन तत्कीन जात हो। दाखिलदफ्त हो।	962 me Dilva

बिमला देवी

